न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या — 03 / 2018 अपील (RCMS/2018/00003)
पंजीयन दिनांक — 09.01.2018
निर्णय दिनांक — 02.04.2019

1. श्री नरेश कुमार पिता श्री शांतिलाल भडक्त्या, निवासी सेंती, जिला चित्तौड़गढ़।

— अपीलान्ट

बनाम

1. श्री अतुल सिसोदिया पिता श्री भंवरलाल सिसोदिया,
2. श्रीमती हेमा सिसोदिया पत्नि श्री अतुल सिसोदिया,
3. श्री ऋषभ सिसोदिया पिता श्री अतुल सिसोदिया
   सर्वनिवासीयान नगर परिषद् ऑफिस के सामने, चित्तौड़गढ़ (राज॰)
4. नगर विकास प्रन्यास, चित्तौड़गढ़ जरिये सचिव, नगर विकास प्रन्यास, चित्तौड़गढ़।

— रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः—
1. श्री जितेन्द्र जैन — वकील अपीलान्ट
2. श्री सम्पतलाल बोहरा — वकील रेस्पोडेंट संख्या—1 से 3
3. श्री नरेश जणवा — वकील रेस्पोडेंट संख्या—5

प्रकरण संख्या—07 / 2014, श्री अतुल सिसोदिया व अन्य में सचिव (प्राधिकृत अधिकारी), नगर विकास प्रन्यास, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.04.2017 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा 90—क राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 02.04.2019

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा सचिव (प्राधिकृत अधिकारी), नगर विकास प्रन्यास, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण संख्या—07 / 2014, श्री अतुल सिसोदिया व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 10.04.2017 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है—

- राजस्व ग्राम सेंती पटवारी हल्का सेंवी जिला चित्तौड़गढ़ के आराजी नम्बर 1024 रकबा 0.62 हैक्टर, आराजी नम्बर 2528 / 1030 रकबा 0.35 हैक्टर, आराजी नम्बर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1030मी रकबा 0.25 हैक्टर एवं आराजी नम्बर 1029 रकबा 0.03 हैक्टर कुल किता–4 रकबा 1.25 हैक्टर कृषि भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 ने भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90क के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, चितौडगढ समक्ष खातेदार अधिकार समर्पण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, चितौड़गढ़ द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90क के अन्तर्गत कृषि भूमि का गैर कृषि भूमि प्रयोजनार्थ दिनांक 01.08.2014 को आदेश पारित किया गया।

- प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, चितौड़गढ के निर्णय दिनांक 01.08.2014 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर में अपील प्रस्तुत की गई। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा प्रस्तुत अपील का क्षैत्राधिकार में न होने एवं अपीलान्ट के हितबद्ध व्यक्ति न होने के आधार पर प्रस्तुत अपील को सारहीन मानते हुए अपने निर्णय दिनांक 15.04.2015 से अपील अपीलान्ट खारिज की और अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 01.08.2014 को बहाल रखा गया।

- अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर के निर्णय दिनांक 15.04.2015 से असन्तुष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर समक्ष रिट संख्या 11319/2015 प्रस्तुत की गई जिसे स्वीकार करते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई कर नवीन निर्णय पारित किये जाने हेतु इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया।

- माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के प्रदत्त निर्देशों की पालना में प्रकरण संख्या–13/2016 दर्ज कर उभय पक्षों को सुना गया। न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 05.09.2016 से प्रार्थी श्री नरेश कुमार द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार किया गया और निर्णय में वर्णित विवेचनानुसार एवं दर्शाये गये तथ्यों के आधार पर नये सिरे से नियमानुसार निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण सचिव, नगर विकास प्रन्यास, चित्तौड़गढ़ को प्रतिप्रेषित (Remand) किया गया।

- न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के निर्णय दिनांक 05.09.2016 के अनुपालना में प्रकरण संख्या–07/2014 दर्ज कर उभय पक्षों को सुनवाई हेतु सूचित किया गया। सम्बन्धित अधिकारियों से संयुक्त मौका निरीक्षण कराया जाकर मौका रिपोर्ट प्राप्त की। प्रकरण के तथ्यों, अभिलेखों एवं मौका रिपोर्ट दिनांक 28.03.2017 के अनुसार न्यास द्वारा पारित राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–90क के तहत आवेदकों (रेस्पोडेंट संख्या–1 से 3) के स्वयं की अंकित खातेदारी में अंकित भूमि के संबंध में पारित आदेश दिनांक 01.08.2014 विधि सम्मत मानते हुए सचिव (प्राधिकृत अधिकारी), नगर विकास प्रन्यास, चित्तौड़गढ़ द्वारा आदेश दिनांक 10.04.2017 पारित किया गया। आदेश दिनांक 10.04.2017 के प्रासंगिक अनुच्छेद निम्न प्रकार से है–

Web Copy - Not Official

''ग्राम सेंती तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ की पैरा 1 में वर्णित आराजी कुल किता 4 क्षेत्रफल 1.25 हैक्टेयर आवेदकों की स्वयं की खातेदारी की होकर आवेदकों ने अपनी खातेदारी भूमि के ही आवेदन प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष पेश किया। इस आराजी के अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण हेतु आपत्ति बाबत लोक सूचना जारी कर प्राप्त आपत्ति का विधिवत सुनवाई कर निस्तारण कर राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क के तहत कार्यवाही कर भूमि न्यास के नाम दर्ज की गयी। आवेदित भूमि का योजना मानचित्र निर्धारित न्यास की योजना मानचित्र अनुमोदित समिति द्वारा प्रावधानानुसार 60:40 के अनुपात को दृष्टिगत रखते हुए अनुमादित किया जाकर निर्धारित राशि जमा होने पर पट्टा विलेख जारी किये गये हैं। न्यास के सहायक अभियन्ता, उप नगर नियोजक, क. अभियन्ता एवं राजस्व निरीक्षक के संयुक्त मौका निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार प्लान में उत्तर दिशा की ओर 60 फीट रोड़ बताया गया है जिसमें आराजी नम्बर 1026, 1025, 1024, 2066/1025 में से होते हुए 30 फीट जो प्लान में अनुमोदित होकर आवेदकों की खातेदारी की है व उत्तर में 30 फीट अन्य आराजी 1021/1983, 1020, 1021, 1022, 1023 में से बताई गयी है जो अन्य खातेदारों की है, अपीलार्थी का इस आराजी नम्बर से कोई संबंध नहीं है। आराजी नम्बर 1029 आ.चाह होकर मौके पर कुआ नहीं होना व कुआ भर देना तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 15.07.2013(14) की मौका रिपोर्ट से भी स्पष्ट है। आवेदक की आवेदित खातेदारी भूमि का ही रूपान्तरकरण किया गया है, भा.रा.रा. प्राधिकरण के नाम अंकित किसी भी भूमि का रूपान्तरण नहीं किया गया है। मौके पर पूर्ण रिपोर्ट अनुसार ही उक्त रूपान्तरित भूमि रिक्त है, केवल सड़क निर्मित है।

उपरोक्त तथ्यों, अभिलेखों एवं मौका रिपोर्ट दिनांक 28.03.2017 के अनुसार न्यास द्वारा पारित राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क के तहत आवेदकों के स्वयं की खातेदारी में अंकित भूमि के संबंध में पारित आदेश दिनांक 01.08.2014 विधि सम्मत होने से जमा राशि पट्टा विलेख जारी किए जा चुके है जिससे अब इस प्रकरण किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।''

सचिव (प्राधिकृत अधिकारी), नगर विकास प्रन्यास, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.04.2017 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा नगर विकास प्रन्यास, चित्तौड़गढ़ से अभिलेख मंगवाया गया। वकील पक्षकारान उपस्थित जिनकी बहस दिनांक 26.03.2019 को सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में न्यायालय हाजा में प्रस्तुत पूर्व के प्रकरण संख्या 13/2016 के कथनों को दोहराते हुए मौखिक बहस में प्रस्तुत किया है कि प्रस्तावित आराजियात के उत्तरी दिश में प्लॉन अनुसार दर्शाय गये रोड में 30 फिट भूमि खातेदारी की एवं 30 फिट भूमि अन्य खातेदार की हैं एंव आराजी संख्या 1029 रकबा 0.03 हे. किस्म आ.चा. है जो मौके पर भर दिया गया है। उक्त रुपान्तरण की कार्यवाही हल्का पटवारी द्वारा मूल नक्शे के विपरीत है मूल नक्शें में विभाजन किये जाने का कोई अकंन नही है। रेस्पोडेंट संख्या 5 के कार्यालय में प्रस्तुत पत्रावली में जो राजस्व नक्शा पटवारी द्वारा दिनांक 02–07–2014 को जारी किया गया है जिसमें आराजी संख्या 1025, 1026, 1028 एवं 1030 के टुकडे दर्शाये गये है जबकि हल्का पटवारी के मूल नक्शे में इस प्रकार की कोई तरमिम नही है। इससे स्पष्ट है कि पटवारी से मिली भगत कर प्रत्यथी संख्या 4 के कार्यालय को भ्रमिक करते हुए अपीलार्थी की भूमि का सम्मलित करते हुए रुपान्तरण की कार्यवाही कर नाजायाज लाभ उठाने की मंशा से प्लॉन अनुमोदित कराया गया है। इतना ही नही आराजी नम्बर 1028 में से 0.01 हे. कुल 0.21 हे. भूमि

सडक हेतु अवाप्तशुदा होने के उपरान्त भी अप्रव्ड प्लान में सम्मिलित किया गया हैं जबकि तहसीलदार, चितौडगढ द्वारा इस सूचना दी गई है। उपरोक्त समस्त कथनों से स्पष्ट है कि नगर विकास प्रन्यास, चितौडगढ द्वारा गलत सूचनाओं के आधार पर 90–क का आदेश पारित किया गया जो निरस्त किये जाने योग्य है।

इसी प्रकार आराजी नम्बर 1028/1954 रकबा 0.10 हैक्टेयर राजस्व नक्शे में आम रास्ता दर्शाय गया हैं उसे भी इस अप्रव्ड प्लॉन में सम्मलित किया गया, उक्त भूमि एवं अन्य खातेदारो की भूमि को हडपने हेतु गलत प्लॉन अप्रव्ड कराया गया है। आराजी संख्या 1029 में प्राकृतिक पेयजल स्त्रोत कुआ स्थित है जिसमें अथाह जलराशि उपलब्ध होने से उसे छोडते हुए रुपान्तरण की कार्यवाही किया जाना न्याय संगत होता जा नही किया गया है।

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के निर्णय की अनुपालना में रेस्पोडेंट संख्या–5 द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया परन्तु अपीलान्ट को पर्याप्त सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। संयुक्त मौका निरीक्षण दिनांक 28.03.2017 से पूर्व अपीलार्थी को कोई सूचना नहीं गई, अधिसूचना दिनांक 19.08.2013 के तहत आराजी नम्बर 1028 के सम्बन्ध में कोई मौका निरीक्षण नहीं किया गया। अपीलार्थी की भूमि में सड़क का निर्माण कर दिया है जो अपीलार्थी के हक–हकुक के विपरित है। अपीलार्थी द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि खसरा नम्बर–1031 को कभी भी कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ आवेदन नहीं किया है परन्तु रेस्पोडेंट संख्या–5 द्वारा रूपान्तरण सम्बन्धी कार्यवाही एवं प्लान स्वीकृत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा निर्णय दिनांक 10.04.2017 को पारित किया गया जिसकी जानकारी समय पर नहीं होने से प्रष्नगत अपील देरी से प्रस्तुत पर अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 मयाद अधिनियम का पेष किया। उपरोक्त परिस्थितियों के आधार पर अपीलार्थी द्वारा अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के आदेष दिनांक 10.04.2017 को अपास्त किये जाने का अनुरोध किया है।

रेस्पोडेन्ट संख्या–1 से 3 की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने लिखित व मौखिक बहस में प्रस्तुत किया है कि राजस्व ग्राम सेंती पटवारी हल्का सेंवी जिला चित्तौड़गढ़ के आराजी नम्बर 1024 रकबा 0.62 हैक्टर, आराजी नम्बर 2528/1030 रकबा 0.35 हैक्टर, आराजी नम्बर 1030मी रकबा 0.25 हैक्टर एवं आराजी नम्बर 1029 रकबा 0.03 हैक्टर कुल किता–4 रकबा 1.25 हैक्टर कृषि भूमि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 ने अपनी इस भूमि के संबंध में धारा 90–क के तहत कार्यवाही करने हेतु सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन किया गया। सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार समाचार पत्रों के माध्यम से आपत्तियॉ आंमत्रित की गई तथा प्रत्यथीगणों ने अपने आवेदन पत्र के साथ सरेन्डर डीड खाते की नकले, शपथ पत्र अनुबन्ध पत्र आदि पेश किये तथा प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर दिनांक

Web Copy - Not Official

01–08–2014 को धारा 90–क के तहत उक्त आराजीयात में से आ. संख्या 1224 रकबा 0.6200 हैक्टर, 2528/1030 रकबा 0.3500 हैक्टर, 1030 मी रकबा 0.2500 हैक्टर व आराजी नम्बर 1029 रकबा 0.0300 हैक्टर कुल किता –4 रकबा 1.2500 हैक्टर आदेश पारित किया गया।

अपीलान्ट को अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलान्ट हितबद्ध व्यक्ति नहीं है। वह धारा–90–क(9) के अनुसार एग्रीव्ड व्यक्ति होना आवश्यक है, जब तक एग्रीव्ड व्यक्ति नहीं हो अपीलान्ट को अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलान्ट ने अपील आराजी नम्बर 1031 का वर्णन किया है जबकि धारा 90–क के तहत प्रत्यथीगण के स्वामित्व, आधिपत्य एवं खातेदारी आराजीयात की ही 90–क की कार्यवाही की गई। आराजी संख्या–1031 के सम्बन्ध में 90–क की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अपीलान्ट को अपील पेश करने का कोई कानूनन अधिकार नहीं है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की अपील इसी आधार पर काबिल निरस्त के है। इस संबंध में आरबीजे 2014 पेज 97 पर राजस्व मण्डल राजस्थान में तय किया हैं। इसी प्रकार इसी बिन्दु को आरबीजे 2014 पेज 388, आरबीजे 2011 पेज 643, आरबीजे 2011 पेज 510, आरबीजे 2012 पेज 284 आदी पर राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी तय किया गया है।

जिन आराजीयात के संबंध में धारा 90–क के कार्यवाही की गई है। उनसे अपीलान्ट का दूर दूर तक कोई संबंध नही है। उन आराजीयात के संबंध में अपीलान्ट प्रभावित पक्षकार ही नही है जिस आराजीयात की 90–क की कार्यवाही नही की गई वह अपीलान्ट की जमीन है। जिसके आराजी नम्बर 1031 है तथा उस जमीन में अपीलान्ट ने 0.0900 हैक्टर अधिक भूमि पर कब्जा है उसमें से मौके पर अपीलान्ट का खाते से भी 0.0900 हैक्टर अधिक भूमि पर कब्जा है उसमें से केवल 0.0200 हैक्टर पर रोड बनी है उसके अलावा भी अपीलान्ट का 0.0700 हैक्टर पर अधिक कब्जा है। उस नाजायज कब्जे को हटाने की कार्यवाही अलग से की जावेंगी परन्तु अपीलान्ट का जिन आराजीयात के संबंध में 90–क की कार्यवाही की गयी उन आराजीयात से अपीलान्ट का कोई संबंध नही है। रेस्पोडेंट की जमीन का आवासीय प्रयोजनार्थ हेतु रूपान्तरण करवाया गया जिसकी मौके की स्थिति का सही मुआयना किया गया है, अपीलान्ट को उसकी जमीन से कही पर भी वंचित नहीं किया गया है।

मामला रिमाण्ड होने के बाद नगर विकास प्रन्यास द्वारा सुनवाई हेतु दोनों पक्षों को सूचित किया गया जिस पर अपीलान्ट नगर विकास प्रन्यास कार्यालय में उपस्थित हुए और साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत करने का मौका अवसर चाहा गया, जिसकी पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख से की जा सकती है। परन्तु अपने कथनों के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं होने की स्थिति में अपीलान्ट द्वारा जानबुझ कर बाद की पेशीयों में उपस्थित नहीं हुआ। अधीनस्थ न्यायालय प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही कराते हुए

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वादग्रस्त भूमियों का संयुक्त मौका निरीक्षण करा रिपोर्ट प्राप्त की गई और आदेश दिनांक 10.04.2017 को पारित किया गया। उक्त मौका रिपोर्ट में सभी तथ्यों का पूर्ण विवेचन किया गया हैं, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विश्लेषण कर आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश की जानकारी अपीलान्ट को आरम्भ से ही थी, परन्तु जानबुझकर अपील का अधिकार नहीं होते हुए भी देरी से अपील प्रस्तुत की जिसके पर्याप्त कारण नहीं होने से अपील मयाद के बिन्दु पर ही निरस्त योग्य है।

जो नक्शा नगर विकास प्रन्यास द्वारा अनुमोदित किया गया है, उसे अपीलान्ट द्वारा कभी सक्षम न्यायालय में निरस्त नहीं कराया गया क्योंकि वह नक्शा नियमानुसार अनुमोदित किया गया है। रेस्पोडेंट संख्या–4 द्वारा नियमानुसार धारा 90–क की कार्यवाही की गई, जिसमें किसी भी प्रावधान की अनदेखी नहीं की गयी है। एन.एच.ए.आई. की अवाप्तशुदा भूमि में भी रेस्पोडेंट का कोई सम्बन्ध नहीं है, इसका उल्लेख भी मौका रिपोर्ट दिनांक 28.03.2017 में किया गया है तथा जो जमीन संपरिवर्तित की गई है तथा उसके पट्टे अनुमोदित प्लान के अनुसार जारी किए गए है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

अपने कथन के समर्थन में विद्वान वकील रेस्पोडेंट संख्या–1 से 3 द्वारा न्यायिक दृष्टांत (RBJ 2011 P.643, RBJ 2011 P.510, RBJ 2013 P.197, RBJ 2014 P. 97, RBJ 2014 P.388, RJB 2010 P. 628, RBJ 2010 P. 624, RBJ 2010 P. 289, RBJ 2012 P. 283) पेश किए।

विद्वान वकील रेस्पोडेंट संख्या–4 ने वकील रेस्पोडेंट संख्या–1 से 3 तक के अधिवक्ता द्वारा की गई बहस का समर्थन करते हुए बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, चित्तौड़गढ़ द्वारा 90–क की कार्यवाही के दौरान समस्त नियमों एवं विधिक प्रक्रियाओं को अक्षरशः पालन किया गया, उसमें कोई चुक भी नहीं हुई है। संबंधित अधिकारियों की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परिक्षण कर आदेश पारित किया गया है। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के निर्णय दिनांक 05.09.2016 के अनुपालना में प्रकरण संख्या–07/2014 दर्ज कर उभय पक्षों को सुनवाई हेतु सूचित किया गया। सम्बन्धित अधिकारियों से संयुक्त मौका निरीक्षण कराया जाकर मौका रिपोर्ट प्राप्त की। प्रकरण के तथ्यों, अभिलेखों एवं मौका रिपोर्ट दिनांक 28.03.2017 के अनुसार न्यास द्वारा पारित राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–90क के तहत आवेदकों (रेस्पोडेंट संख्या–1 से 3) के स्वयं की अंकित खातेदारी में अंकित भूमि के संबंध में पारित आदेष दिनांक 01.08.2014 विधि सम्मत मानते हुए सचिव (प्राधिकृत अधिकारी), नगर विकास प्रन्यास, चित्तौड़गढ़ द्वारा आदेश दिनांक 10.04. 2017 पारित किया गया। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, चित्तौड़गढ़ पारित आदेश दिनांक 10.04.2017 बहाल रखाये जाने का निवेदन किया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट संख्या–1 से 3 द्वारा आवेदन करने उपरान्त प्राधिकृत अधिकारी एवं सचित, नगर विकास प्रन्यास, चित्तौड़गढ़ द्वारा आदेश दिनांक 01.08.2014 से उपरोक्त आराजीयात के आवासीय प्रयोजन के लिये उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान की। अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, चित्तौड़गढ़ द्वारा 90–क की कार्यवाही के दौरान समस्त नियमों एवं विधिक प्रक्रियाओं को अक्षरशः पालन किया गया। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के निर्णय दिनांक 05.09.2016 के अनुपालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या–07/2014 दर्ज कर उभय पक्षों का अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया परन्तु अपीलान्ट द्वारा अपने कथनों के पक्ष में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए। सम्बन्धित अधिकारियों से संयुक्त मौका निरीक्षण कराया जाकर मौका रिपोर्ट प्राप्त की। संयुक्त मौका निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार प्लान में उत्तर दिशा की ओर 60 फीट रोड़ बताया गया है जिसमें आराजी नम्बर 1026, 1025, 1024, 2066/1025 में से होते हुए 30 फीट जो प्लान में अनुमोदित होकर आवेदकों की खातेदारी की है व उत्तर में 30 फीट अन्य आराजी 1021/1983, 1020, 1021, 1022, 1023 में से बताई गयी है जो अन्य खातेदारों की है, अपीलार्थी का इस आराजी नम्बर से कोई संबंध नहीं है। आराजी नम्बर 1029 आ.चाह होकर मौके पर कुआ नहीं होना व कुआ भर देना तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 15.07.2013(14) की मौका रिपोर्ट से भी स्पष्ट है। आवेदक की आवेदित खातेदारी भूमि का ही रूपान्तरकरण किया गया है, भा.रा.रा.प्राधिकरण के नाम अंकित किसी भी भूमि का रूपान्तरण नहीं किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं तथ्यों के अवलोकन एवं विश्लेषण से यह प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय प्रकरण में धारा–90क की कार्यवाही सम्पादित करने से पूर्व न्यायालय हाजा के निर्णय, 90क के नियमों एवं निर्देशों की पूर्ण पालना की गई। सम्बन्धित अधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त प्रस्तुत दस्तावेजों का परिक्षण कर आदेश दिनांक 10.04.2017 को पारित किया गया, जो विधि सम्मत प्रतीत होता है। जिससे हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। प्राधिकृत अधिकारी व सचिव, नगर विकास प्रन्यास, चित्तौड़गढ का आदेश दिनांक 10.04.2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 02.04.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर

Web Copy - Not Official